

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

क. वसूलियों तथा राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2006-2007			संशोधित 2006-2007			बजट 2007-2008			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	25562.28	29769.00	55331.28	31798.58	29654.61	61453.19	33521.70	30440.00	63961.70	
पूंजी	4000.00	...	4000.00	4700.00	...	4700.00	3286.50	...	3286.50	
जोड़	29562.28	29769.00	59331.28	36498.58	29654.61	66153.19	36808.20	30440.00	67248.20	
राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान:										
आयोजना-भिन्न अनुदान										
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	3601	...	29406.50	29406.50	...	28802.11	28802.11	...	30087.50	30087.50
2. स्वर्ण मंदिर के विकास के लिए सहायता	3601	...	27.50	27.50	...	27.50	27.50	...	27.50	27.50
3. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज़ में अनुदान	3602	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00
4. मूल्य वृद्धित कर संबंधी व्यय के लिए राज्यों को अनुदान	3601	...	10.00	10.00
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम:										
आयोजना-भिन्न ऋण										
5. अर्थोपाय अग्रिम										
5.01 अदायगियां	7601	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
5.02 घटाइए-वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
निवल
6. ऋणों का रूपांतरण/बट्टे खाते में डालना										
6.01 राज्य सरकारों के बट्टे-खाते डाले गए ऋण	2075	...	0.01	0.01	...	8560.91	8560.91	...	100.00	100.00
6.02 घटाइए-निवल प्राप्तियां	0075	...	-0.01	-0.01	...	-8560.91	-8560.91	...	-100.00	-100.00
निवल
राज्यों की आयोजनागत स्कीमों के लिए अनुदान/ऋण:										
7. एकमुश्त अनुदान	3601	25562.28	...	25562.28	31798.58	...	31798.58	33521.70	...	33521.70
8. एकमुश्त ऋण	7601	4000.00	...	4000.00	4700.00	...	4700.00	3286.50	...	3286.50
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत										
9. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण	2245	...	1500.00	1500.00	...	2000.00	2000.00	...	1800.00	1800.00
घटाइए-आय कर/निगम कर पर अधिभार आदि	0021	...	-1500.00	-1500.00	...	-1500.00	-1500.00	...	-1800.00	-1800.00
निवल	500.00	500.00
10. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता	2245	...	1500.00	1500.00	...	2000.00	2000.00	...	1800.00	1800.00
घटाइए-एन.सी.सी.एफ.से अंतरण द्वारा पूरी की गई राशि	8235	...	-1500.00	-1500.00	...	-2000.00	-2000.00	...	-1800.00	-1800.00
निवल
कुल जोड़		29562.28	29769.00	59331.28	36498.58	29654.61	66153.19	36808.20	30440.00	67248.20
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
राज्य आयोजनाएं										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	10916.61	...	10916.61	14016.61	...	14016.61	15408.02	...	15408.02
2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	4697.00	...	4697.00	8397.00	...	8397.00	3690.00	...	3690.00
3. विशेष केन्द्रीय सहायता-पर्वतीय क्षेत्र	43601	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00
4. विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	43601	520.00	...	520.00	520.00	...	520.00	520.00	...	520.00
5. विशेष केन्द्रीय सहायता	43601	936.30	...	936.30
6. विशेष आयोजना सहायता	43601	2160.00	...	2160.00	2160.00	...	2160.00	2637.00	...	2637.00

		बजट 2006-2007			संशोधित 2006-2007			बजट 2007-2008		
विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	
7. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (एआईबीपी)	43601	2350.00	...	2350.00	1650.00	...	1650.00	3580.00	...	3580.00
8. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम/ (एपीडीआरपी)	43601	650.00	...	650.00	650.00	...	650.00	800.00	...	800.00
9. अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	43601	1430.97	...	1430.97	2480.97	...	2480.97	2391.91	...	2391.91
10. किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी)	43601	162.77	...	162.77	162.77	...	162.77	162.77	...	162.77
11. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कारवाई योजना (एनईजीएपी)	43601	300.00	...	300.00	150.00	...	150.00	500.00	...	500.00
12. पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि राज्य घटक (बीआरजीएफ)	43601	1250.00	...	1250.00	1250.00	...	1250.00	1130.00	...	1130.00
13. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) (क) शहरी अवसंरचना एवं अभिशासन उप-मिशन	43601	2287.15	...	2287.15	1771.93	...	1771.93	2474.90	...	2474.90
(ख) लघु और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (यूआईडीएसएसएमटी)	43601	900.00	...	900.00	740.00	...	740.00	702.22	...	702.22
(ग) शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाओं संबंधी उप-मिशन	43601	908.78	...	908.78	722.00	...	722.00	1322.34	...	1322.34
(घ) एकीकृत आवास तथा गंदी बस्ती विकास (आईएचएसडीपी)	43601	500.00	...	500.00	362.00	...	362.00	488.04	...	488.04
14. सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टीआरपी)	43601	304.00	...	304.00	304.00	...	304.00	326.00	...	326.00
15. बृहन मुम्बई स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट (ब्रिमस्टोवा) मुम्बई	43601	400.00	...	400.00
16. राष्ट्रमण्डल युवा खेलकूद पुणा	43601	50.00	...	50.00
जोड़		29562.28	...	29562.28	36498.58	...	36498.58	36808.20	...	36808.20

(करोड़ रुपए)

इस मांग में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर देय अनुदान; राज्य आयोजनागत स्कीमों के लिए एकमुश्त अनुदान, राज्यों को अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से सहायता हेतु प्रावधान शामिल हैं।

निराश्रित व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि किए जाने के कारण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2003-04 में किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी) अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना की स्कीम को वर्ष 2004-05 में अनुमोदित किया गया था। स्वर्ण मंदिर के विकास के लिए सहायता हेतु राज्यों को सहायतानुदान देने की व्यवस्था की गई है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को एसीए हेतु ऋण संघटक उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई है। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप सभी अन्य राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए मुख्य योजना के तहत शहरी अवसंरचना एवं अभिशासन संबंधी उप-मिशन, लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास, शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं संबंधी उप-मिशन, एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास के लिए योजनाओं हेतु प्रावधान किए गए हैं।

2007-08 के ब.अ. में दो नई योजनाओं अर्थात् बृहन मुम्बई स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट (ब्रिमस्टोवा), मुम्बई तथा राष्ट्रमंडल युवा खेलकूद, पुणे के लिए भी प्रावधान किया गया है।

इस अनुदान के अंतर्गत शामिल प्रावधान राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरित संसाधनों तथा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी सरकार को केन्द्रीय करों तथा शुल्कों के हिस्से के एवज में अनुदान के अंतरण के द्योतक भी हैं।